

भारत सरकार के अधीन पढ़ी पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रयत्न

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/श्री उदय सिंह पुत्र/पुत्री सतोष
 निवासी हावर ग्राम/कस्बा हावर जिला/सभाग करोली/भरतपुर

राज्य/संघ क्षेत्र राजस्थान के निवासी (सीना) समुदाय जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 पूर्व जाति अमाता - पत्र क्र. ऑफिस - 312 डी 08/05/02 के अधीन पर
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
 संविधान (अनुसूचित जाति, संघ क्षेत्र) आदेश, 1951
 संविधान (अनुसूचित जनजाति संघ क्षेत्र) आदेश, 1951

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (परिशोधन) आदेश 1950 मुंबई विभागादेश 1950 एवं 1950 संजान विभागादेश 1950, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभागादेश 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथासंशोधित संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1958, संविधान (अध्ययन एवं निरीक्षण द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1958, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित)

संविधान (वाक्य एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (वाक्य एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

संविधान (मोक्ष दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1969

संविधान (मोक्षा दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1980

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1980

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1981

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन), 1991

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1990

संविधान (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) 2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) 2002

2. यह उक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले के लागू है जो एक राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमति/कुमारी के पिता/माता श्री/श्रीमति

निवासी ग्राम/कस्बा जिला/सभाग प्रदेश/

संघ क्षेत्र को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के अधार पर जारी

किया गया जो राज्य/संघ क्षेत्र में द्वारा जारी

दिनांक द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3. श्री/श्रीमति उदय सिंह तथा या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा हावर

जिला/सभाग करोली/भरतपुर राज्य/संघ क्षेत्र में रहते/रहता हैं।

राज्य/संघ क्षेत्र राजस्थान

स्थान करोली

दिनांक 18/01/16

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

कृपया राष्ट्रपति का विभिन्न आदेश उद्धृत करें, जो अनुच्छेद लागू न हों, उसे काट दें।

टिप्पणी: यहाँ प्रस्तुत साधारणतया का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 खण्ड 20 में है।

टिप्पणी: जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये हैं।

1. जिला मजिस्ट्रेट/अवर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/रिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के रटाइपेडरी मजिस्ट्रेट/सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/हासुक मजिस्ट्रेट/एकसीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के नीचे एक न हों)

2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

3. राज्यस्त अधिकारी जो तहसीलदार के नीचे के रैंक की न हों

4. संघ क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफीसर जहाँ अन्यायी और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अग्रश्रेणी केवल राज्यस्त निरन्तर अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।



1305
28/01/16

उप-जिला मजिस्ट्रेट
(कारोली)